निर्णय बईजलास निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़(राजस्थान)

मि0न0 48/17 तारिख दायराः 08.06.2017

राजस्थान सरकार जरिये जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड़ (प्रार्थी)

बनाम

सुरेश कुमार आ0 मोहनलाल जाति महाजन नि0 अकलेरा, झालावाड़ (अप्रार्थी)

प्रा0पत्र अन्तर्गत आर्म्स एक्ट

उपस्थितः– पेरोकार सरकार

श्री मोहम्मद सिद्दीक खान, अभिभाषक अप्रार्थी

–ः निर्णय ः– दिनांकः 12.03.2018

उक्त प्रकरण न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय कोटा के निर्णय दिनांक 22.05.2017 से पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्राप्त हुआ है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1600/97 के अवधि 01.01.2016 से 31.12.2018 तक के लिये नवीनीकरण हेतु कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड़ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, आवेदन प्राप्त होने पर कार्यालय द्वारा अनुज्ञापत्रधारी के आचरण एंव आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में पुलिस अधीक्षक झालावाड से जांच रिपोर्ट ली गई । पुलिस अधीक्षक झालावाड़ द्वारा अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज होना प्रकट करते हुए में अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित नही होना उल्लेखित करते हुये असहमति प्रकट की गई उक्त रिपोर्ट के मध्यनजर आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ द्वारा अनुज्ञापधारी का अनुज्ञापत्र निरस्त कर शस्त्र को संबंधित थाने में जमा करने का आदेश कमांक 974 दिनांक 17.02.2017 पारित किया गया था । तत्पश्चात अनुज्ञापत्रधारी द्वारा उक्त आदेश की अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 18/2017/अपील/आर्म्स/झालावाड़ निर्णय दिनांक 22.05.2017 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया गया व प्रकरण पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गयें।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया व अप्रार्थी को न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया । अप्रार्थी की और से अभिभाषक श्री मोहम्मद सिद्दीक खान का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ एंव उपस्थित हुए।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़

बहस उभय पक्ष सुनी। पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया गया कि पुलिस अधीक्षक झालावाड़ द्वारा अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध विरूद्ध प्रकरण दर्ज होना प्रकट करते हुए में अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित नही होना उल्लेखित करते हुये असहमति प्रकट की गई उक्त रिपोर्ट के मध्यनजर आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ द्वारा अनुज्ञापधारी का अनुज्ञापत्र निरस्त कर शस्त्र को संबंधित थाने में जमा करने का आदेश क्रमांक 974 दिनांक 17.02.2017 पारित किया गया था जो सही है। इस पर अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा व्यक्त किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध मात्र एक प्रकरण में माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अकलेरा द्वारा मुकदमा न0 70/14 धारा 341,323,325,34 भा0द0स0 में दर्ज कर बाद अनुसंन्धान आरोप पत्र कता चालान पेश न्यायालय किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2016 को साक्ष्य के अभाव में सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है। इसके अलावा अप्रार्थी के विरूद्ध किसी भी तरह का कोई प्रकरण दर्ज नही है। अनुज्ञापत्र निरन्तर नवीनीकरण होता रहा है। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा पारित आदेश की पालना में अनुज्ञापत्र 1600/97 बहाल किया जाकर अनुज्ञापत्र आगामी अवधि के लिये नवीनीकृत किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। कार्यालय द्वारा अनुज्ञापत्रधारी के अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण बाबत रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक झालावाड़ द्वारा अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज होने से अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित नही होना उल्लेखित करते हुये असहमति प्रकट की गई उक्त रिपोर्ट के मध्यनजर आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में तत्समय जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र निरस्त कर शस्त्र को संबंधित थाने में जमा करने का आदेश क्रमांक 974 दिनांक 17.02.2017 पारित किया गया था । चूंकि तत्समय पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ द्वारा पत्रांक 12293 दिनांक 22.10.2016 को भिजवाई रिपोर्ट में आर्म्स लाईसेन्स नवीनीकरण उचित नही बताते हुए असहमति व्यक्त किये जाने पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जाकर शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1600/97 निरस्त किया गया था तत्समय की गई पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को दरकिनार कर शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाना हमारी राय में उपयुक्त नही है। अतः पूर्व में कार्यालय द्वारा पारित आदेश 974 दिनांक 17.02.2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड